संख्याः-1898/XVIII(II)/2011-1(23)/2011

(126)

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः13 दिसम्बर, 2011

विषयः-मै0 ओमेगा हर्ब्स प्रा0 लि0 रूद्रपुर को, ग्राम मल्सी, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंहनगर में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 1.2082 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1158/सात-स0भू0अ0/2011 दि0-15.7.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 ओमेगा हर्ब्स प्रा0 लि0 रूद्रपुर को, ग्राम मल्सी, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंहनगर में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 1.2082 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत एवं आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (कोल्ड स्टोरेज एण्ड ऑयल इन्ट्रक्शन्स) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की

.....2

स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अन्तर्गत प्रचलित नियमो/मानको एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्यौगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– सम्बन्धित ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– भूमि क्रय किये जाने के पश्चात धारा–143 के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10– ईकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग एग्रो प्रोडक्ट्स (कोल्ड स्टोरेज एण्ड ऑयल इन्ट्रक्शन्स) विनिर्माणक उद्योग की स्थापना के लिए किया जायेगा।

11– कोल्ड स्टोरेज क्रियाकलाप विनिर्माणक गतिविधियों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। अतः इस गतिविधि पर विशेष पैकेज में प्रदत्त आयकर छूट व केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। हर्बल एक्सट्रक्शन क्रियाकलाप भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्यौगिक नीति एवं सम्बर्द्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप 7.1.2003 के संलग्नक–2 में मेडिसनल हर्ब्स एवं एरोमैटिक हर्ब्स प्रोसेसिग थ्रस्ट सैक्टर उद्योगो के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है। ईकाई को इस गतिविधि पर विशेष पैकेज में प्रदत्त आयकर छूट व केन्द्रीय पूंजी निवेदश उपादान सुविधा का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर नियमानुसार अनुमन्य होगा।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13– किसी भी दषा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दषा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

.....3

16– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0– 1898/संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5– मै0 ओमेगा हर्ब्स प्रा0लि0, 202, अमेजन टावर, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।